

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(9095)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/20/03378/2020

जयपुर, दिनांक 11.08.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर्स एवं सूचना सहायकों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	मेरिट न.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1	361 (2013)	श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- नैनवा, बूंदी	MCA	Jaipur National University, Jaipur
2	3730 (2013)	श्री हेमेश कुमार मीणा, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- देवली, टोंक	MCA	Jaipur National University, Jaipur
3	2689 (2013)	श्री विकास कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुंझुनू	MCA	Jaipur National University, Jaipur
4	New IA 2018	श्री विकास कुमार मीणा, सूचना सहायक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़	MCA 2nd Year	Jaipur National University, Jaipur

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारण यश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत् शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sd —
(विदेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.टी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
3. कार्मिक
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

G. J. M.
11-08-2020
प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/03380/1020 जयपुर, दिनांक 11.08.2020

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट नं./बैच	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	1730 (2013)	श्री दशरथ, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- बाड़मेर, बाड़मेर	1. NIC - SCIENTIST-'B', SCIENTIFIC/TECHNICAL ASSISTANT- 'A'
2.	245 (2011)	श्री कमल सुरेला, सहायक प्रोग्रामर	प्रोजेक्ट- सी.एस.सी. 2.0 स्कीम, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, नागौर	1. NIC - SCIENTIST-'B', SCIENTIFIC/TECHNICAL ASSISTANT- 'A'
3.	421 (2013)	श्रीमती मोनिका माण्डावत, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द	1. UPSC- Civil Service Examination 2020
4.	2876 (2013)	श्री अरविन्द कुमार मीणा, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- रैणी, अलवर	1. NIC - SCIENTIST-'B', SCIENTIFIC/TECHNICAL ASSISTANT- 'A'
5.	2076 (2013)	श्री यादवेन्दु सेन, सूचना सहायक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, झालावाड़	1. RPSC - ACF AND FOREST RANGE CONSERVATIVE OFFICER Gr-I 2018
6.	New IA 2018	श्री विकास कुमार मीणा, सूचना सहायक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ़	1. RPSC - ACF AND FOREST RANGE CONSERVATIVE OFFICER Gr-I 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

sd

(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

9/8/2020

प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन)